

126 / 2018

तारीखरजू- 15.10.2018

निर्णय दिनांक:-

उनवान:- गल्ला बनाम रूपसिंह वगै०

दावा वावत इस्तरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188,88 रा०टि०एक्ट

18 फर्द अहकाम

वादी की ओर से श्री दिलावर सिंह बैसला एडवोकेट ने दावा वावत घोषणा खातेदारी / स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188,88 रा०टि०एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चें पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 17.12.18 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला कराँली

4270-74
15/10/18

17.12.18

वादी वकील उप०। बज्जतजार तामील दि० 28-1-19 को

पेश हो।

19

पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीएसन अधिकारी...
...गतानुसार दिनांक... को पेश हो।

192 की ओर से
28/1/19

22.2.19

पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक... को पेश हो।

29.3.19

वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं. 1 व 2 की ओर से श्रीमेश चन्द खैरी Adv. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 3, 4 के सम्मन अदमतामिल ले प्राप्त हुए हैं। प्रतिवादी नं. 5 का पत्र सूचना उप० नहीं है। P.O. काँली पधारें हैं आइन्दा दिनांक 16.5.19 को पेश हो।



सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला - कौली

दिनांक	कार्य अहवाल	
--------	-------------	--

4 3/24 फराखी पेग टुही वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। कार - 2 अलाव रिपोर्ट गई। कोई उप नहीं हुआ है। इनके उपरांत भी कोई उप नहीं होने से फराखी कर्म करनी बहुत शक्ति से स्वार्थ की गनी है। फराखी प्रेसल शुकर होकर नम्बर से बग होकर शक्ति कर रहे।

(K)